संख्या– 703 ई–1/तेरह–2020–18/17टी.सी.

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर,
2. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग–1

लखनऊ:दिनांक: 24 मार्च, 2020

विषयः–नोवेल कोरोना वाइरस (कोविड–19) के दृष्टिगत मदिरा आपूर्ति बाधित होने की सम्भावना के कारण अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नोवेल कोरोना वाइरस (कोविड–19) का देश/प्रदेश में व्यापक प्रसार के चलते प्रदेश सरकार द्वारा 16 जनपदों में लॉकडाउन की घोषणा की गयी है। यह नितान्त आवश्यक है कि अवैध मदिरा के स्रोतो को समूल नष्ट करने हेतु कोविड–19 वाइरस कम होने तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाय। अभियान को पूर्ण सफल बनाने हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैः–

1. जिलाधिकारी द्वारा आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन कराया जाये। सभी टीमें कोविड–19 के प्रभाव के दृष्टिगत आवश्यक मास्क/सेनिटाइजर/सोशल डिस्टेन्सिंग सम्बन्धी निर्देशों का पालन करेगी।
2. राष्ट्रीय/राज्य मार्गो पर स्थित ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते है, की सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाये। इस बात की प्रबल सम्भावना रहती है कि ढ़ाबों पर ही अल्कोहल के टैंकरों द्वारा अल्कोहल चोरी कर बेचा जाता है।
3. अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण पूर्व वर्षों में बन्द पड़ी फैक्ट्रियों में पकड़े गये हैं। इसलिये क्षेत्र में स्थित ऐसी प्रत्येक बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर चेक किया जाय एवं उन पर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जाय।
4. अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं के विरूद्ध आवश्यकतानुसार गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट सहित कठोरतम् कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
5. अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों पर तत्काल छापेमारी प्रारम्भ की जाये। पकड़े गये अभियोगों में आवश्यकतानुसार आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में एफ. आई.आर. करायी जाये।
6. एफ.एल.–16/17 एवं एफ.एल.–39, 40 व 41 अनुज्ञापनों का भी सघन निरीक्षण करते हुये इनका नमूना आहरित कर जांच करायी जायें।
7. पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों से थिनर का नमूना लेकर यह जांच करायी जाय। अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर के शराब के रूप में दुरूपयोग हो सकता है। इसको रोकने के लिये ड्रग विभाग एवं आबकारी विभाग की एक संयुक्त

टीम जिलाधिकारी के माध्यम से गठित कर संदिग्ध मेडिकल स्टोरों पर छापे मारे जाये तथा किसी भी अवैध स्टाक को पकड़े जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाय।

8. शराब के अवैध विक्रय के सन्दर्भ में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये।

9. जनपदों के असेवित क्षेत्रों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय।

10. मिथाइल अल्कोहल का स्टोरेज करने वालों का पुलिस वेरिफकेशन करा लिया जाय।

11. जिन क्षेत्रों में आसवनियॉ स्थित हैं, उनमें सतर्क दृष्टि रखी जाय।

12. पूर्व में आबकारी एवं पुलिस विभाग के पास जब्त किये गये मदिरा/अल्कोहल/ मिथाइल के स्टाक का सत्यापन करा लिया जाये।

13. प्रदेश के जनपदों में अनुज्ञापियों द्वारा यदि कोई नकली शराब की बिक्री की जाती है तो उनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा–60(क) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

ह0 (संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–703(1)ई–1/तेरह–2020तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

ह0 (ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय)
विशेष सचिव।